

## भारतीय समाज में स्त्री मुक्ति आंदोलन

श्रीमती पूजा राय एम. ए. इतिहास विभाग,  
पटना नेट, यूजी. सी. नई दिल्ली

किसी भी समाज की संस्कृति, सभ्यता एवं उसके सामाजिक स्तर की माप उस समाज में महिलाओं की स्थिति से की जाती है। समाज का निर्माण बहुत अंशों में महिलाओं पर निर्भर करता है। समाज में वे पत्नी और माँ के रूप में प्रकट होती हैं। इसलिए परिवार के जीवन पर उनका अमिट प्रभाव पड़ना अवश्यक भावी है।

स्त्रियों की मुक्ति - वैदिक युग के शुरु के काल को छोड़कर हरदम नारी पुरुष की अधीनता तथा सामाजिक उत्पीड़न की शिकार रही है। भारत में प्रचलित विभिन्न धर्मों व उन पर आधारित गृहस्थ नियमों ने स्त्रियों को पुरुषों से हीन स्थान दिया है। इस संबंध में उच्च वर्गों की स्त्रियों की स्थिति किसान औरतो से भी खराब थी।

चूँकि किसान स्त्रियाँ अपने पुरुषों के साथ खेतों में काम करती थीं, इसलिए उनको बाहर आने जाने का कुछ अधिक स्वतंत्रता प्राप्त था और परिवार में उनकी स्थिति उच्च वर्गों की स्त्रियों से कुछ मामलों में बेहतर था उदाहरण के लिए वे शायद ही कभी पर्दा में रहती थीं तथा उनमें से अनेकों को पुनर्विवाह के अधिकार प्राप्त थे।

वैदिक युग के शुरु के काल को छोड़कर हरदम नारी पुरुष की अधीनता में रहती आई थी यह सही है कि भारत में कभी कभी रजिया सुल्तान, नूरजहाँ गार्गी, चाँद बीबी, अहिल्याबाई होल्कर झाँसी की रानी जैसी स्त्रियाँ आकर नारी के रूप को चार - चाँद लगाई है। फिर भी यह कहना सर्वथा

भ्रमात्मक होगा कि भारतीय नारियो का जीवन सर्वदा हीन रहा है । प्रचीनकाल में महिलाओं का श्रेष्ठ स्थान था | वे पुरुषो की अगिनि कहलाती थी ।

वे पुरुषो के साथ यज्ञ आदि में भाग्य लेती थी और वेदमंत्रो का पाठ करती थी । स्त्रियाँ विदुषी होती थी । समाज में उनका काफी आदर होता था | मध्ययुग आते - आते स्त्रियों की अवस्था अत्यन्त शोचनीय हो गई । अब उन्हे विलास की सामग्री मात्र समझा जाने लगा | उनकी स्वतन्त्रता बिलकुल खत्म हो गई |

नारी मुक्ति आंदोलन - **1900 AD** के मानवतावाद और समानतावादी विचारो से प्रेरित होकर समाज सुधारको ने स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए एक शक्तिशाली आंदोलन छेड़ा | **1857** के पूर्व कन्या शिशु हत्या (कन्या) सर्वव्यापी समस्या था यह प्रथा न सिर्फ आदिवासियो में ही नही व्याप्त थी बल्कि यह भारत की अन्य जातियो में भी व्यापक व्याप्त थी । 1795 के बंगाल रेग्युलेशन एक्ट के अनुसार इस प्रथा का पालन करने वालो को हत्यारा माना जाता था । सन् **1870** मे सरकार ने एक अन्य कानून बनाया जिसमें लड़कियों के जन्म का पंजीकरण करना तथा इसका नियमित सर्वेक्षण करना कि, वह बच्ची अभी भी जीवित है था नही, आदि थी ।

स्त्री प्रथा का उन्मूलन - सती एक बहुत ही खराब सामाजिक बुराई थी । इस मे विधवाओं को अपने पति के साथ अर्थी पर बैठकर साथ ही जला दिया जाता था । यह सामान्यता ऊँची जाति के हिंदूओं के बीच थी । प्रचारात्मक कार्य द्वारा राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारको ने सती प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया । **1829** को लार्ड बैंटिक ने सती प्रथा को गैरकानूनी घोषित कर दिया |

विधवा विवाह - सती प्रथा के बंद होजाने से विधवाओं की संख्या काफी वृद्धि हुई। इसी

कम में ईश्वर चंद्र विद्या सागर ने अपना आंदोलन चलाया और सरकार द्वारा हिंदू विडोजरी मैरेज एक्ट ऑफ 1856 को पास कराने में सक्षम हो गए। शारदा एक्ट - बाल विवाह इस समय की एक और बड़ी समस्या थी। बाल विवाह को वर्जिन करने की दिशा में भारत सरकार ने सबसे महत्वपूर्ण कदम 1930 में हरविलास शारदा के प्रयत्नो से एक बाल - विवाह निषेधक कानून पास हुआ जिसे

शारदा एक्ट कहते हैं। इस ने अठारह वर्ष से कम उम्र के लड़के और चौदह वर्ष से कम उम्र की लड़की का विवाह अवैध घोषित कर दिया।

पुरुष सुधारको का योगदान - बंगाल सहित सम्पूर्ण भारत में कई समाज सुधारक हुए, जिन्होंने महिलाओ के हित में काम किए।

उत्तर भारत - उत्तर भारत में स्वामी दयानंद रारस्वती ने स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया। मुस्लिम सुधारको में खयाजा हाली और शेख महमूद अब्दुआ ने लड़कियों की शिक्षा के लिए प्रयास किए।

पश्चिम भारत - यहाँ महादेव गोविंद रानाडे ने समाज सुधारको की ओर ध्यान केंद्रित करने के राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना की।

दक्षिण भारत - में आर वेंकटरत्नम ने देवदासी प्रथा का विरोध किया जबकि वीरेसलिंगम पुंतुलु ने विवाह सुधार पर काम किया। दोनों ने ही महिलाओ को शिक्षा में अधिक अवसर देने की वकालत की। उन्तीसवीं सदी के सुधारको की जो सबसे बड़ी विशेषता उनकी सक्रियता थी। परंतु महिलाएँ खुद अपने पुनरुद्धार के लिए बन रही योजनाओ शामिल में नहीं थी। जो इस आंदोलन की सबसे बड़ी दुर्बलताएँ बनीं।

राजनीति में महिला जागरण - बीसवीं सदी में राष्ट्रीय आंदोलन के उदय से स्त्री मुक्ति के आंदोलन को बहुत बल मिला। स्वतंत्रता के संघर्ष में स्त्रियों ने एक सक्रिय भूमिका अदा की। बंग भंग आंदोलन तथा होमरूल आंदोलन में उन्होंने बड़ी संख्या में भाग लिया। 1918 के बाद राजनीति जुलूसों में भी चलने लगी। विदेशी वस्त्र और शराब बेचने वाले इलाकों पर धरना देने लगी और खादी बुनने तथा उसका प्रचार करने लगी। असहयोग आंदोलन में वे जेल गईं जन प्रदर्शनों में उन्होंने लाठी, आँसू गैस और गोलियाँ भी झेलीं। उन्होंने क्रांतिकारी आंतकवादी आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। वे विधानमंडल के चुनाव में वोट देते तथा उमीदवारों के रूप खड़ी होने लगीं। प्रसिद्ध कवियत्री सरोजिनी नायडु राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनीं। अनेक स्त्रियों 1937 के बनीं जनप्रिय सरकारों के मंत्री या संसदीय सचिव बनीं। कमलादेवी चट्टोपाध्याय विजयलक्ष्मी पंडित जैसी कुछ औरतों ने तो अंतरराष्ट्रीय ख्याति लब्ध नेता सिद्ध हुईं। अब आत्मविश्वास प्राप्त स्त्रियों ने अनेक संगठनों को खड़ा किया उनमें सबसे प्रमुख था आल इंडिया वूमैन्स कांग्रेस 1927 में स्थापित हुआ। अब महिलाएं अपने राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक अधिकारों की मांग के लिए आंदोलन शुरू कर दिया।

स्त्री मुक्ति हेतु उठाए गए कदम - स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद समानता के लिए स्त्रियों के संघर्ष में बहुत तेजी आई। भारतीय संविधान 1950 धारा 14, 15 में स्त्रियों व पुरुषों का पूर्ण समानता की गारंटी दी गई। 1956 के हिंदू उत्तराधिकार कानून ने पिता की संपत्ति में बेटों को बेटों के बराबर अधिकार दिया 1955 के हिंदू विवाह कानून में कुछ विशिष्ट आधारों पर विवाह संबंध भंग करने की छूट दी गई। स्त्री - पुरुष दोनों के लिए एक विवाह अनिवार्य बना दिया। लेकिन दहेज की बुराई अभी तक जारी है। संविधान स्त्रियों को भी कार्य करने तथा सरकारी संस्थाओं में नौकरी करने के समान अधिकार देता है।

संविधान के नीति निर्देशक तत्व में स्त्री पुरुष दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत है। समाज सुधार आंदोलन, स्वतंत्रता संग्राम स्त्रियों के

अपने आंदोलन स्वतंत्र भारत के संविधान ने इस दिशा से महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। स्त्रियों की समानता के सिद्धांत को व्यवहार में करने में अभी निश्चित ही अनेक और स्पष्ट अस्पष्ट बाधाएँ हैं।

संदर्भ

- [1] आधुनिक भारत का इतिहास  
(बी. एल. गोवर. यशपाल)
- [2] भारत का स्वतंत्रता घर्ष  
(विपिन चन्द्र)
- [3] भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि  
(ए. आर. देसाई)
- [4] आधुनिक भारत का इतिहास  
(दीनानाथ वर्मा)
- [5] आधुनिक भारत (सुमित सरकार)